प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) 434/ 2013

˗ बजाज एलेन्ज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा शाखा प्रबंधक शिवमोहन भवन, विधान सभा रोड,पंडरी, रायपुर, तह: एवं जिला: रायपुर (छ.ग.)।

---- अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती पुष्पा बाई, पति विजय कुमार टंडन, उम्र लगभग 24 वर्ष,

2. पंकज टंडन पिता विजय कुमार टंडन उम्र करीब 06 वर्ष (अप्राप्तवय)

3. विकास टण्डन पिता विजय कुमार टण्डन, उम्र करीब 02 वर्ष (अप्राप्तवय)

4. रारू दास पिता स्वर्गीय सियाराम टंडन, उम्र लगभग 53 वर्ष,

उत्तरवादी क्रमांक 2 से 3 अप्राप्तवय है जिनका प्रतिनिधित्व उनकी माता श्रीमती पुष्पा बाई द्वारा किया गया। समस्त निवास ग्राम और पोस्ट छपोरा,थाना धरसीवा, जिला. रायपुर (छ.ग.)

5. बन्धु राम साहू पिता कन्हैय्या लाला साहू निवासी ग्राम सांकरी,पोस्ट कोरासी, थाना खरोरा, जिला. रायपुर (छ.ग.) (चालक)

6. मंगल सिंह ध्रू पिता रामलखन ध्रू, निवासी ग्राम पिरोदा, पोस्ट कोरसी, थाना खरोरा, जिला. रायपुर (छ.ग.) स्वामी

---- उत्तरवादीगण

अपीलार्थियों के लिए	: श्री रोहिताश्व सिंह, अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 1 से 4 के लिए	: श्री अमियकांत तिवारी, अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 5 और 6 के लिए	: श्री शिवेंदु पंड्या, अधिवक्ता

एवं

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) 435/ 2013

˗ बजाज एलेन्ज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा शाखा प्रबंधक शिवमोहन भवन, विधान सभा रोड,पंडरी, रायपुर, तह: एवं जिला: रायपुर (छ.ग.)। **---- अपीलार्थी**

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बनाम

1. श्रीमती सावित्री बाई, पति दिनेश जांगड़े, उम्र लगभग 32 वर्ष,

2. संदीप जांगड़े, पिता दिनेश जांगड़े, उम्र लगभग 16 वर्ष (अप्राप्तवय)

3. समीर जांगड़े, पिता दिनेश जांगड़े, उम्र लगभग 15 वर्ष (अप्राप्तवय)

4. मितलेश, पिता दिनेश जांगड़े, उम्र लगभग 14 वर्ष (अप्राप्तवय)

5. अनिमेष जांगड़े, पिता दिनेश जांगड़े, उम्र लगभग 12 वर्ष,

6. श्रीमती देवन्तिन बाई, पति फेरहा दास जांगड़े, उम्र लगभग 65 वर्ष

उत्तरवादी क्रमांक 2 से 5 अप्राप्तवय हैं जिनका प्रतिनिधितव उनकी माता उत्तरवादी क्रमांक 1 श्रीमती सावित्री बाई द्वारा किया जा रहा है, सभी का निवास ग्राम व पोस्ट दोंदेकला, थाना धरसीवा, जिला। रायपुर (छ.ग.) है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. बन्धु राम साहू पिता कन्हैय्या लाला साहू निवासी ग्राम सांकरी, पोस्ट कोरासी, थाना खरोरा, जिला. रायपुर (छ.ग.) (चालक)

8. मोंगल सिंह ध्रू पिता रामलखन ध्रू, निवासी ग्राम पिरदा, पोस्ट कोरासी, थाना खरोरा, जिला रायपुर (छ.ग.) (स्वामी)

---- **उत्तरवादीगण**

अपीलार्थियों के लिए : श्री रोहिताश्व सिंह, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 1 से 6 के लिए : श्री अमियकांत तिवारी, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 7 और 8 के लिए : श्री शिवेंदु पंड्या, अधिवक्ता

माननीय न्यायामूर्ति श्री गौतम चौरडिया

बोर्ड पर निर्णय

01.04.2019

(1) अपीलार्थी/बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर एम.ए.(सी) क्रमांक 434/2013 और 435/2013 पर एक साथ सुनवाई की जा रही है और इस निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है क्योंकि दोनों अपीलें एक ही दुर्घटना से उद्भूत हुई हैं और प्रथम अतिरिक्त मोटर

दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 1/2011 और 2/2011 में क्रमशः पारित दिनांक 31.01.2013 के अधिनिर्णय के विरुद्ध हैं।

(2) दावा याचिका में किए गए प्रकथनों के अनुसार, दिनांक 21.08.2010 को मृतक – विजय कुमार टंडन, दिनेश जांगले (पीछे बैठा) के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक सी.जी.–04 जे.–4529 पर जा रहे थे और जब वे काली मंदिर, सारागांव के पास पहुंचे, तो चालक/अनावेदक क्रमांक 1–बंधु राम साहू ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन (मेटाडोर) क्रमांक सी.जी.–04 जे.–4529 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप दिनेश कुमार जांगड़े व विजय कुमार टंडन को गंभीर चोटें आईं और दिनेश कुमार जांगड़े की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि विजय कुमार टंडन की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।

(3) एम.ए. (सी) क्रमांक 434/2013 (दावा प्रकरण क्रमांक 1/2011) में, न्यायाधिकरण ने मृतक विजय कुमार टंडन की दिनांक 21.08.2010 को मोटर दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 5,17,600/– रुपए का आदेश दिया है, जबकि मृतक की दुर्भाग्यपूर्ण पत्नी, पुत्रों और पिता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'एमवी अधिनियम') की धारा 166 के तहत आवेदन दायर करके 13,33,000/– रुपए का दावा किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) एम.ए. (सी) क्रमांक 435/2013 (दावा प्रकरण क्रमांक 2/2011) में, न्यायाधिकरण ने मृतक दिनेश कुमार जांगड़े (पिछली सवारी) की दिनांक 21.08.2010 को मोटर दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 4,24,000/– रुपए की राशि प्रदान की है, जबकि मृतक की दुर्भाग्यपूर्ण पत्नी, पुत्रों और मां ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'एमवी अधिनियम') की धारा 166 के तहत आवेदन दायर करके 12,89,000/– रुपए का दावा किया था।

(5) दोनों दावों के प्रकरणों में न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी/बीमा कंपनी पर क्षतिपूर्ति के भुगतान का दायित्व तय किया है क्योंकि वह पॉलिसी शर्तों के उल्लंघन को साबित नहीं कर सका।

(6) दावा न्यायाधिकरण द्वारा अपीलार्थी/बीमा कंपनी पर दायित्व निर्धारित करने के निर्णय से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

(7) अपीलार्थी/बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वे केवल दो आधारों पर निर्णय का विरोध कर रहे हैं, पहला यह कि वाहन के स्वामी द्वारा सार्वजनिक परिवहन के रूप में वाहन चलाने के लिए कोई वैध परमिट प्राप्त नहीं किया गया है, जबकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 के अनुसार सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाने के लिए वैध परमिट आवश्यक है, भले ही वाहन माल वाहन

हो; तथा बीमा कम्पनी द्वारा उठाया गया दूसरा आधार यह है कि चूंकि वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय वाहन चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तथा उसके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस था, वह फर्जी पाया गया, इसलिए दावा अधिकरण ने अपीलार्थी/बीमा कम्पनी पर उत्तरदायित्व आरोपित किया है।

(8) दावेदारों के लिए विद्वान अधिवक्ता आक्षेपित अधिनिर्णय का समर्थन करते हैं।

(9) अनावेदक क्रमांक 1 व 2/दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक व स्वामी के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित अधिनिर्णय का समर्थन किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा परमिट जब्त किया गया था जैसा कि दावा प्रकरण क्रमांक 01/2011 में प्र. पी/7 के अनुसार तथा दावा प्रकरण क्रमांक 2/2011 में प्र. पी/6 के अनुसार तथा पूर्वोक्त जब्ती ज्ञापन में उल्लेख किया गया है, अन्वेषण अधिकारी ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का परमिट दिनांक 10.01.2009 से 09.01.2014 तक वैध था तथा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक का लाइसेंस भंडू राम के पक्ष में जारी किया गया था जो कि प्र. डी–4 के अनुसार दिनांक 24.12.2009 से 23.12.2010 तक वैध है। उन्होंने यह भी कहा कि बीमा कंपनी ने इस बात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक का ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी पाया गया था और यदि वह फर्जी है, तो दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के स्वामी को इस तथ्य के बारे में पता नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और आक्षेपित अधिनिर्णय का अध्ययन किया है।

(11) यह विवादित नहीं है कि स्वामी और चालक द्वारा कोई जवाबी अपील दायर नहीं की गई है जैसा कि दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता अर्थात स्वामी और चालक के अधिवक्ता और बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

(12) दावा न्यायाधिकरण के अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट है कि प्र.पी/6 (दावा प्रकरण क्रमांक 02/2011 में) और प्र.पी/7 (दावा प्रकरण क्रमांक 01/2011 में) के अनुसार, परमिट को अन्वेषण अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया गया था और परमिट में इसकी वैधता दिनांक 10.01.2009 से 09.01.2014 तक बताई गई है, जबकि दुर्घटना दिनांक 21.08.2010 को हुई थी, इसलिए, परमिट की वैधता दावेदारों द्वारा प्र.पी/6 और प्र.पी/7 दस्तावेज प्रस्तुत करके स्थापित की गई है और इस प्रकार, इन प्रकरणों में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के स्वामी या चालक द्वारा परमिट का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

(13) दोनों प्रकरणों में अनावेदक क्रमांक 3/ बीमा कंपनी की ओर से राजेश भार्गव (अनावेदक साक्षी–1) से पूछताछ की गई। अपीलार्थी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में कहा है कि दुर्घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक बंधु राम के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था। उन्होंने अपने कथन में यह भी कहा है कि कानपुर आरटीओ ने बंधुराम के पक्ष में लाइसेंस जारी किया है और उपरोक्त तथ्य के सत्यापन के बाद ही आरटीओ रायपुर ने वर्ष 1989 में उनके लाइसेंस का नवीनीकरण किया है। उन्होंने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस क्रमांक सीजी–04 19880001154 का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के पास दुर्घटना कारित करने वाला वाहन चलाने के लिए वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था। इस प्रकार, उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना के समय अर्थात् दिनांक 21.08.2010 को दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था, इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा अपीलार्थी/बीमा कंपनी पर क्षतिपूर्ति के भुगतान का दायित्व निर्धारित करना पूर्णतः न्यायसंगत है। मुझे अपीलार्थी/बीमा कंपनी पर क्षतिपूर्ति के भुगतान का दायित्व निर्धारित करने वाले आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता या विकृति नहीं दिखती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) परिणामस्वरूप, अपीलार्थी/बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर दोनों अपीलें, सारहीन होने के कारण, खारिज किए जाने योग्य हैं और इसके द्वारा खारिज की जाती हैं। कोई वाद व्यय नहीं।

सही/–

(गौतम चौरडिया)
न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**